प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 15.12.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.12.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र विक्रम निवासी ग्राम खुर्रमपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित गिरोह बना रखा है। मैंने अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध कारित किये हैं जिनमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त रोहित पुत्र विक्रम निवासी ग्राम खुर्रमपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, आयुध अधिनियम का 01 अभियोग व पत्थरबाजी करने के संबंध में 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 पीली धातु की चेन, 01 पीली धातु का कान का कुण्डल, 03 जोड़ी सफेद धातु की पाजेव, 02 सफेद धातु की अंगूठी, 01 जोड़ी पीली धातु का ब्रजबाला/झुमका बरामद।

दिनांक 14/12/2025 को आवेदक आदिल पुत्र मौ0 आबिद निवासी विकास विहार गौरव मार्केट रामपार्क जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा आवेदक के घर से समान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा 305A बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15/12/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा, मैनुअल इन्पुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण 1. अनिल उर्फ पोचू पुत्र गोपाल पासवान निवासी गली नं0 9 प्लाट नं0 32 राजधानी एन्क्लेव कासिम विहार रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम डुंगरिया भट्टा थाना किशनगंज जनपद किशनगंज बिहार उम्र करीब 28 वर्ष 2. राजन पुत्र रणजीत निवासी महाकाल मंदिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 पीली धातु की चेन, 01 पीली धातु का कान का कुण्डल, 03 जोड़ी सफेद धातु की पाजेव,

02 सफेद धातु की अंगूठी, 01 जोड़ी पीली धातु का ब्रजबाला/झुमका बरामद हुए। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों मिलकर चोरी का घटना कारित करते हैं। हमने दिनांक 13/12/2025 की रात को गौरव मार्केट स्थित एक घर से मौका पाकर आभूषण व सामान की चोरी की थी। आज हम चोरी के सामान को बेचने की फिराक जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अनिल उर्फ पोचू पुत्र गोपाल पासवान निवासी गली नं0 9 प्लाट नं0 32 राजधानी एन्क्लेव कासिम विहार रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम डुंगरिया भट्टा थाना किशनगंज जनपद किशनगंज बिहार उम्र करीब 28 वर्ष।

2. राजन पुत्र रणजीत निवासी महाकाल मंदिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अनिल उर्फ पोचू के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 02 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं।

अभियुक्त राजन के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 पीली धातु की चेन, 01 पीली धातु का कान का कुण्डल, 03 जोड़ी सफेद धातु की पाजेव, 02 सफेद धातु की अंगूठी, 01 जोड़ी पीली धातु का ब्रजबाला/झुमका बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 02 सिम कार्ड, 06 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड छाया प्रति व 01 पेन कार्ड छाया प्रति के साथ गिरफ्तार, थाना साइबर क्राइम के 01 अभियोग के अतिरिक्त अन्य 4 राज्यों की 06 घटनाओं का खुलासा।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य अभियुक्त शिवम अहिरवार एवं यश यादव को साइबर अपराध में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 02 सिम कार्ड, 06 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड छाया प्रति व 01 पेन कार्ड छाया प्रति के साथ थाना क्षेत्र प्रेम नगर, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

वादी श्री सोमेन्द्र प्रताप पुत्र श्री भुवनेश्वर सिंह राघव निवासी म0नं0 414/2 स्ट्रीट नं0 – 02 बृज विहार कालोनी मुराद नगर गाजियाबाद के साथ टेलीग्राम ग्रुप में जोडकर ऑनलाइन टास्क पूरा कर पैसा कमाने का झांसा देकर 6,50,187/- रुपये के साइबर फ्रॉड की घटना हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री सोमेन्द्र प्रताप द्वारा दिनांक 12.03.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त शिवम अहिरवार ने पूछताछ पर बताया कि मैं फाइबर के दरवाजे बनाने का काम करता हूँ, काम के दौरान मेरी मुलाकात यश यादव से हुई थी, यश यादव पहले मेरे साथ पढ़ा भी है, यश यादव ने मुझे साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था और मुझसे बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए कहा था जिस पर मैंने यश यादव को अपने बैंक खाता दिया था एवं खाते से लिंक एटीएम कार्ड व सिम कार्ड नम्बर मैंने यश यादव को दिया था और इसके बदले खाते में होने वाले ट्रांजेक्शन का कमीशन प्रतिशत के हिसाब से देने की बात हुई थी और मुझे यश यादव के द्वारा मुझे मेरे हिस्से के रुपये कैश में दिये थे।

अभियुक्त यश यादव ने बताया कि में जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात बब्बू डेरा निवासी खोड़न डेरा प्रेमनगर झाँसी से हुई और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे बैंक खाता,एटीएम कार्ड, खाते से लिंक सिम कार्ड उपलब्ध कराओगे तो मैं तुमको 10,000 से 15,000 रूपये दूंगा। मैंने शिवम अहिरवार तथा अन्य जान पहचान वाले व्यक्तियों व अपने बैंक खाते का डिटेल, एटीएम कार्ड, खाते से लिंक सिम कार्ड बब्बू डेरा को दिये थे। बब्बू डेरा ने मुझसे फ्रॉड के बारे में बताया था और खातों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था और बताया था इन खातों में फ्रॉड का पैसा आयेगा उसे आपस में बराबर बाट लेगें। बब्बू डेरा खातों में फ्रॉड के पैसे डलवाता था और एटीएम से रूपये निकाल लेता था बब्बू डेरा इस समय कहाँ पर है इसकी मुझे कोई जानकारी नही है।

इस गिरोह के द्वारा साइबर फ्रॉड हेतु खुलवाये गये बैंक खाता का उपयोग कर धोखाधड़ी से साइबर फ्रॉड करने के थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग सहित 04 अन्य राज्यों की कुल 26,35,352/- रुपये की घटनाओं का खुलासा हुआ है। जिसका विवरण इस प्रकार है -

गुजरात राज्य के अहमदाबाद सिटी के कौरानी राजेश के साथ 10,79,285/- रुपये एवं अहमदाबाद सिटी के जीशान अली के साथ 3,45,000/- रुपये, महाराष्ट्र राज्य के पुणे सिटी के साहिल लियाकत खान के साथ 95,860/- रुपये एवं नासिक देहात के शुभम सुनील शर्मा के साथ 15,000/- रुपये, मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर की सना अशरफी कुरैशी के साथ 10,000/- रुपये तथा तमिलनाडु राज्य के अवदि के विजय गणेश के साथ 4,40,000/- रुपये के साइबर फ्रॉड की घटनाओं को इस गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया है।

अभियुक्त बब्बू डेरा निवासी खोड़न डेरा प्रेमनगर झाँसी की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम अहिरवार पुत्र नन्दू अहिरवार निवासी म0 नं0 157 बिहारीपुरा थाना प्रेम नगर जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश उम्र - 21 वर्ष, शिक्षा – 07 वीं।
2. यश यादव पुत्र संजय सिंह यादव निवासी लालू चौराहा के पास प्रेम नगर थाना प्रेम नगर जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश उम्र - 21 वर्ष, शिक्षा – बीएससी द्वितीय वर्ष।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 02 सिम, 06 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड छाया प्रति व 01 पेन कार्ड छाया प्रति।